प्रेस विज्ञप्ति

02.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले के संबंध में जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में फैले दस स्थानों पर 31/01/2024 को तलाशी अभियान चलाया। मैसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड, मैसर्स इंटरनेशनल ट्रेडर्स और मैसर्स चौधरी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान/पूर्व निदेशकों से संबंधित कार्यालय/आवासीय परिसरों सहित कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाए गए।

प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई द्वारा मैसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड, इसके निदेशकों राजिंदर कुमार अग्रवाल, परवीन कुमार अग्रवाल, अनिल कुमार और बलजिंदर कुमार अग्रवाल के विरुद्ध दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला कि मैसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड और उसके निदेशकों ने भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ के साथ लगभग 200 करोड़ रुपए की बैंक ऋण धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। अन्य बैंकों में जम्मू-कश्मीर, पीएनबी और करूर वैश्य बैंक शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में मैसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड के निदेशकों की ओर से फर्जी फर्मों के माध्यम से ऋण राशि की हेराफेरी के लिए की गई एक आपराधिक साजिश का भी खुलासा हुआ। कंपनी को गुप्त रूप से मशीन के पुर्जे हटाने और बैंकों के संघ की अनुमति के बिना नकली चालान का उपयोग करके उक्त पुर्जे बेचने में लिप्त पाया गया।

तलाशी के दौरान, 30 लाख रुपये से अधिक की भारतीय मुद्रा, लगभग 600 ग्राम सोना, बैंक खाते, लॉकर और संपत्ति के दस्तावेज, हार्ड डिस्क, डिजिटल डिवाइस, डिजिटल साक्ष्य और खुले दस्तावेज के रूप में विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज मिले और उन्हें फ्रीज/जब्त कर दिया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

****